(13)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर –82 / 2006 उनवान रघुवीर प्रसाद बनाम बारसीलाल दावा बाबत इस्तकरारहक, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
14.03.2018	आज यह पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वादीगण दिनांक 20.10.2015 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुंझुनू को मौका कमिश्नर नियुक्त कर प्राथमिक निर्णय अनुसार पक्षकारानों के घोषित हक हिस्से के अनुसार उनके मध्य भौतिक रूप से बंटवारा कर बंटवारे का प्रस्ताव न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया था। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व / 1230 / दिनांक 12.05.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद स्वीकार कर अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक निर्णय अनुसार है जो स्वीकार किया जाना न्यायौचित है। अतः **आदेशः–** वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 62 के अनुसार मिन नम्बरान को संशोधित कर नक्शा ट्रेस में तरमीम व राजस्व रिकार्ड में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अलका विश्नोई) उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू	

Scanned by CamScanner

मुल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती अलका बिश्नोई (आर०ए०एस०)

उनवान

रघुवीर प्रसाद बनाम बारसीलाल

दावा बाबत इस्तकरारहक, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

मु.नं. **82 / 2006** निर्णय दिनांकः 14.03.2018

वादी की ओर से श्री शिवनारायण सिंह एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री शब्बीर हुसैन एडवोकेट उपस्थित इस वाद में आज तारीख 14.03.2018 को श्रीमती अल्का बिश्नोई, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 62 के अनुसार मिन नम्बरान को संशोधित कर नक्शा ट्रेस में तरमीम व राजस्व रिकार्ड में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 14.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

वादी के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	11
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबुत	11	मेहनतनामा वकील पर	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिशनर	
फीस कमिशनर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
कुल	16	कुल	11

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

Scanned by CamScanner